न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 43 / 2024

अपीलांट्स –
1. तगाराम पुत्र गोरखाराम
2. बाबूलाल पुत्र चेतनराम
3. हनी देवी पत्नी खींयाराम जाति मेघवाल निवासी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
2. जीयाराम पुत्र सोनाराम
3. खीयाराम पुत्र पोकरराम
4. लिखमाराम पुत्र पोकरराम

जाति मेघवाल निवासी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 414 दिनांक 30.05.2023 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री अर्जुनराम बोसिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री भवानीसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 से 4 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 सं 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 23.12.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 414 दिनांक 30.05.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सांजटा के खेत खसरा संख्या 1074 / 345, 1075 / 398, 349 कुल रकबा 24–0303 हैक्टेयर के खातेदारान तगाराम पुत्र गोरखाराम 1 / 6, हनी देवी पत्नि खीयाराम 1 / 6, बाबूलाल पुत्र चेतनराम 1 / 6, खीयाराम पुत्र पोकरराम 1 / 8, लिखमाराम पुत्र पोकरराम 1 / 8, जीयाराम पुत्र सोनाराम [illegible] सांजटा के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने अपनी खाते[illegible] क[illegible] अपीलाधीन भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 29.05.2023 [illegible] बाड़मेर ग्रामीण के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर [illegible] विभाजन प्रस्ता[illegible] अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस [illegible] हलका पटवारी सां[illegible] रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक 414

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:31:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक 30.05.2023 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.07.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि पक्षकारान खातेदारान कृषि कार्य पर जीविकोपार्जन करते है। पक्षकारान संयुक्त पैतृक खातेदारी भूमि का विभाजन कब्जा काश्त अनुसार किये जाने पर सहमत हुए थे जबकि तत्समय राजस्व कर्मियों ने विभाजन प्रस्ताव का मौके अनुसार प्रस्ताव तैयार न कर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अनुचित प्रलोभन में आकर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प स्थल पर ही उसी के बताये अनुसार उपरोक्त आराजी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा दिया। जिससे पक्षकारान के मौके पर वास्तविक कब्जे के विपरीत हो गया। लिहाजा अपीलाधीन बंटवाडा आदेश वास्तविक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से गलत एवं निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर खारिज फरमाया जाकर पुनः नये सिरे से वर्तमान कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाडा करवाये जाने का निवेदन किया है।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स ने यह भी निवेदन किया कि अरसा 20–25 दिन पूर्व जब अपीलार्थीगण अपने उक्त आराजी मे खरीफ फसल की बुवाई करने के लिये निराई/गुड़ाई करवाई गई तब रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने उक्त आराजी पर दखलन्दाजी कर कहा कि उपरोक्त आराजी पर मेरा राजस्व अभिलेख में अंकन हे। उक्त आराजी को राजस्व अभिलेख का त्रुटिपूर्ण अंकन का फायदा उठाकर अपीलांट को धमकी दी। तब अपीलांटगण को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा, जिस पर अपीलार्थीगण ने उक्त द्वारा अपीलाधीन बंटवाडे की नकल प्राप्त करने पर सर्वप्रथम गलत बंटवाडे की जानकारी हुई। इस प्रकार बंटवाडे की नकल दिनांक 19.06.2024 को सर्वप्रथम प्राप्त होने पर अपीलांट्स द्वारा अन्दर मयाद यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने का भी निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:31:27 IST
Reason: SelfAttested

6. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि अपीलांट्स द्वारा मनगढ़न्त एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। पक्षकारान मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार ही काबिज हैं एवं बंटवाडे के समय समस्त पक्षकारान मौके पर हाजिर थे। समस्त

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थित पक्षकारान के समक्ष ही विभाजन नक्शा तैयार किया गया था तथा सभी पक्षकारान ने नक्शा सही होना स्वीकार करते हुए सहमति प्रदान की थी । इसके बावजूद रेस्पोडेंट्स के कब्जे की भूमि हड़पने की नीयत से अपीलांट्स द्वारा यह अपील 1 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है जो विलम्ब से होने एवं उचित कारणों के अभाव में मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन होने के साथ–साथ मयाद के बिन्दु पर भी मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सांजटा के खेत खसरा संख्या 1074/345, 1075/398, 349 कुल रकबा 24–0303 हैक्टेयर के खातेदारान तगाराम पुत्र गोरखाराम 1/6, हनी देवी पत्नि खीयाराम 1/6, बाबूलाल पुत्र चेतनराम 1/6, खीयाराम पुत्र पोकरराम 1/8, लिखमाराम पुत्र पोकरराम 1/8, जीयाराम पुत्र सोनाराम 1/4 कौम मेघवाल सा0 सांजटा के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने अपनी खातेदारी की अपीलाधीन भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 29.05.2023 को तहसीलदार तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी साजंटा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक 414 दिनांक 30.05.2023 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.07.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलाधीन बंटवाडा पक्षकारान के मध्य पूर्व मे हुए बाहमी बंटवाडे के अनुसार नहीं किया गया है व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है, जिससे से अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलधान बंटवाडा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प पर बनाया गया है जबकि नियमावली अनुसार सर्वप्रथम प्रस्तावित खसरान का मौका स्थल पर जाकर कब्जा–काश्त, उपजाउपन व मार्ग की उपलब्धता व अन्य तथ्यों का संकलन कर तैयार किया जाता है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की भौतिक कब्जा काश्त अनुसार नहीं होने से उक्त अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि अपीलांट्स द्वारा मनगढत एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। पक्षकारान मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार ही काबिज है एवं बंटवाडे के समय समस्त पक्षकारान मौके पर हाजिर थे। समस्त उपस्थित पक्षकारान के समक्ष ही विभाजन नक्शा तैयार किया गया था तथा सभी पक्षकारान ने नक्शा सही होना स्वीकार करते हुए सहमति प्रदान की थी एवं बंटवाडे पर अपने–अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:31:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अंकित किये थे। इसके बावजूद रेस्पोडेंट्स के कब्जे की भूमि हड़पने की नीयत से अपीलांट्स द्वारा यह अपील 1 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है जो विलम्ब होने के उचित साक्ष्यों के अभाव में मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन होने के साथ–साथ मयाद के बिन्दु पर भी मय खर्चा खारिज फरमाई जावे। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा कोई ठोस एवं विधिसम्मत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए 1 वर्ष के विलम्ब के संबंध में भी कोई तर्कसंगत कारण प्रकट नहीं किया गया है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:31:27 IST
Reason: SelfAttested